कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जौनपुर।

पत्र संख्या रीडर/सीएफओजे / बे०शि०नबी०/2024 **दिनांक :- जुलाई 05 2024**

सेवा में,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
सेंट जोसेफ स्कूल,
रासमण्डल, जौनपुर।

विषयः- सेंट जोसेफ स्कूल, रासमण्डल, जौनपुर का अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से निरीक्षण कर निर्गत प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना।

संदर्भ:- आपके आवेदन पत्र दिनांक 01-07-2024 के संदर्भ में।

....

उक्त विद्यालय भवन का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी जौनपुर श्री के० के० ओझा द्वारा किया गया तो प्रश्नमत भवन भूतल पर निर्मित है व प्रथम तल निर्माणीन है, जिसके निर्माण के पश्चात् प्रयोग से पूर्व मानक के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था वांछनीय होगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। विद्यालय भवन के भूतल पर अधिष्ठापित फायर एक्सटिंग्यूशर्स कार्यशील दशा में पाये गये। विद्यालय प्रबन्धन द्वारा विहित फीस राजकीय कोष में जमा कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी, जौनपुर की संस्तुति आख्या व उपलब्ध अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर सेंट जोसेफ स्कूल, रासमण्डल, जौनपुर का निर्गत अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है-

1. विद्यालय भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मैन्टीनेन्स शैड्यूल बनाया जाय तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाय।
2. भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमि प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाय।
3. किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
4. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाय तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाये ।
5. प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल / फायर ड्रिल करागी जाय तथा इमरजेन्सी इवेक्यूबेशन प्लान बनाया जाय। इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जाय।
6. वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर पिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
7. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पायें जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक स्वामी की होगी।
8. विद्यालय भवन में विस्फोटक पदार्थों का भण्डारण नहीं किया जायेगा ।

C.F.O

Manager
St. Joseph Sr. Sec. School
Rasmanbal, Jaunpur - 1

PRINCIPAL
St. Joseph Sr. Sec. School (70620),
Rasmandal, Manik-Chowk, Jaunpur-1

9. विद्यालय में मीड-डे-मील/ कैन्टीन आदि भूतल पर व निकास मार्गो से दूर टिन रोड अथवा पक्के निर्माण में ही किया जाय।

10. विद्यालय भवन के जिन कमरो में एक ही दरवाजा लगा है उन कमरों में 45 से अधिक छात्र/छात्राओं को न बैठाया जाय।

11. प्रबन्धन द्वारा स्थापित फायर एक्राटिंग्यूशर्स का प्रत्येक वर्ष टेस्टिंग रिफिलिंग कराकर विहित फीस राजकीय कोष में जगाकर अग्निशमन विभाग से निरीक्षण परीक्षण कराया जाना वांछनीय होगा।

12. उक्त शर्तों / निर्देशों का उल्लंघन होने पर निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

अतः आवेदक को इस शर्त पर पूर्व में निर्गत अग्निशमन प्रमाण पत्र कां नवीनीकरण किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों / प्रतिबन्धों का पूर्णतया पालन कर विद्यालय भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरण का प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण / परीक्षण कराकर व विहित फीस राजकीय कोष में जमाकर प्राप्त प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराया जाना नितान्त आवश्यक होगा। प्राथमिक अग्निशमन उपकरण के अकार्यशील पाये जाने व वार्षिक नवीनीकरण न कराये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। निरीक्षण / परीक्षण कराये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धक / प्रधानाचार्य की स्वयं होगी।

(अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जौनपुर।

प्रतिलिपिः - अग्निशमन अधिकारी जौनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।।

Manager
St. Joseph Sr. Sec. School
Rasmanbal, Jaunpur - 1

PRINCIPAL
St. Joseph Sr. Sec. School (70620).
Rasmandal.Manik-Chowk,Jaunpur-1